कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पत्रालय– बी0 एल0 डब्ल्यू0, विद्युत नगर
वाराणसी– 221004
E-Mail Address :- puvvnlvns.mm@gmail.com

पत्रांकः /पू0वि0वि0नि0लि0(वा)/सा0प्र0–I दिनांकः 06/01/2023

विषयः– मे0 ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा कार्यादेश सं0 929/एमडी/ पीयूवीवीएनएल(वी)/ ईएवी–68/2018–19 दिनांक 22.04.2019 के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्रों, एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु तैनात किये गये कुशल व अकुशल संविदा कर्मियों के वेतन का ससमय भुगतान न किये जाने एवं लगभग 01 वर्ष से ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0सी0 अंशदान व जी0एस0टी0 जमा न किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी के अन्तर्गत वि0वि0मं0–देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़–प्रथम, आजमगढ़–द्वितीय, बलिया एवं फतेहपुर के क्षेत्राधीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों, एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु कुशल व अकुशल मैनपावर तैनात किये जाने हेतु निविदा सं0 ईएवी–68/2018–19 के अन्तर्गत मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली से कार्यानुबन्ध/कार्यादेश संख्या 929/एमडी/पीयूवीवीएनएल(वी)/ईएवी–68/2018–19 दिनांक 22.04.2019 किया गया। तत्क्रम में अद्यतन निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 3577/पूविविनिलि(वा)/सा0प्र0–1 दिनांक 30.11.2022 द्वारा अनुबन्ध का दिनांक 28.02.2023 अथवा जैम पोर्टल के माध्यम से नई निविदा निष्पादित करने तक(जो भी पहले हो) प्रचलित अनुबन्ध के समस्त नियम व शर्तो के अनुसार विस्तारण किया गया।

2– निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) द्वारा पत्रांक 537 दिनांक 537/निदेशक(का0प्र0एवंप्रशा0)/पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/शिविर दिनांक 20.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न खण्डों में तैनात किये गये संविदा कर्मियों के वेतन का ससमय भुगतान नही किया जा रहा है एवं न ही उनके ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 अंशदान समय से जमा कराये जा रहे है। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को डिस्कॉम के विभिन्न स्तरों से निम्नलिखित पत्र निर्गत किये गये :–

क्र0 सं0	मण्डल/खण्ड का नाम	पत्रांक एवं दिनांक
1	वि0वि0खं0–षष्ठ्म, आजमगढ़।	पत्रांक–2368/वि0वि0खं0ष0(आ0) दिनांक 16.12.2022 एवं पत्रांक–1819/वि0वि0खं0ष0(आ0) दिनांक 27.09.2022
2	वि0वि0खं0–तृतीय, बांसडीह, बलिया।	पत्रांक–5833/वि0वि0खं0तृतीय(ब0) दिनांक 15.12.2022
3	वि0वि0खं0–कसया, कुशीनगर।	पत्रांक–7930/वि0वि0खं0क0(कु)/**M.S. Orion** दिनांक 15.12.2022
4	वि0वि0खं0–हाटा।	पत्रांक–4334/वि0वि0खं0हा0(कु0)/2022–23 दिनांक 15.12.2022
5	वि0वि0खं0–तृतीय, आजमगढ़।	पत्रांक–1936/वि0वि0खं0तृतीय(आ)/संविदा दिनांक 15.12.2022
6	वि0वि0खं0–चतुर्थ, आजमगढ़।	पत्रांक–1936/वि0वि0खं0फू0(आ)/संविदा दिनांक 14.06.2022
7	अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0–1), पूर्वान्चल डिस्कॉम, वाराणसी।	पत्रांक–2374/पू0वि0वि0वि0नि0लि0(वा0)/सा0प्र0 दिनांक 24.09.2021
8	वि0वि0मं0–द्वितीय, देवरिया।	पत्रांक–1186/वि0वि0मं0(दे0)/ओ0एस0 दिनांक 14.08.2020

निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि डिस्कॉम के कार्मिक अनुभाग द्वारा पत्रांक 3322 दिनांक 09.11.2022, 3483 दिनांक 01.12.2022 द्वारा एवं दूरभाष के माध्यम से भी बार–बार संविदा कर्मियों के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0, जी0एस0टी0 समय से जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया है। लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में सकारात्मक कार्यवाही नही की गयी। कार्यदायी संस्था की इस प्रकार की कार्यप्रणाली के कारण कारपोरेशन की छवि धूमिल हो रही है एवं औद्योगिक अशांति उत्पन्न होने का संकट निरन्तर बना रहता है ।

क्रमशः....2 पर

3– मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा विषयगत अनुबन्धत के नियम व शर्तो का निष्ठापूर्वक अनुपालन न करने के कारण पत्रांक 3785/पूविविनिलि(वा)/सा0प्र0–1 दिनांक 21.12.2022 द्वारा कार्यदायी संस्था के ई–मेल पर एवं पंजीकृत डाक द्वारा निम्नवत कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया :–

" अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय बांसडीह–बलिया के पत्रांक 5833 दिनांक 15.12.2022, कार्मिक अधिकारी डिस्कॉम मुख्यालय के पत्रांक 3691 दिनांक 17.12.2022, निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) महोदय के पत्रांक 551 दिनांक 20.12.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न खण्डों में तैनात किये गये संविदा कर्मियों के वेतन का ससमय भुगतान नही किया जा रहा है एवं न ही उनके ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 अंशदान समय से जमा कराये जा रहे है। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से निर्गत निम्नलिखित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	मण्डल/खण्ड का नाम	पत्रांक एवं दिनांक
1	वि0वि0खं0–षष्ठम, आजमगढ़।	पत्रांक–2368/वि0वि0खं0ष0(आ0) दिनांक 16.12.2022 एवं पत्रांक–1819/वि0वि0खं0ष0(आ0) दिनांक 27.09.2022
2	वि0वि0खं0–तृतीय, बांसडीह, बलिया।	पत्रांक–5833/वि0वि0खं0तृतीय(ब0) दिनांक 15.12.2022
3	वि0वि0खं0–कसया, कुशीनगर।	पत्रांक–7930/वि0वि0खं0क0(कु)/**M.S. Orion** दिनांक 15.12.2022
4	वि0वि0खं0–हाटा।	पत्रांक–4334/वि0वि0खं0हा0(कु0)/2022–23 दिनांक 15.12.2022
5	वि0वि0खं0–तृतीय, आजमगढ़।	पत्रांक–1936/वि0वि0खं0तृतीय(आ)/संविदा दिनांक 15.12.2022
6	वि0वि0खं0–चतुर्थ, आजमगढ़।	पत्रांक–1936/वि0वि0खं0फू0(आ)/संविदा दिनांक 14.06.2022
7	अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0–1), पूर्वान्चल डिस्कॉम, वाराणसी।	पत्रांक–2374/पू0वि0वि0वि0नि0लि0(वा0)/सा0प्र0 दिनांक 24.09.2021
8	वि0वि0मं0–द्वितीय, देवरिया।	पत्रांक–1186/वि0वि0मं0(दे0)/ओ0एस0 दिनांक 14.08.2020

यह भी सन्दर्भित किया जाना आवश्यक है कि डिस्कॉम के कार्मिक अनुभाग द्वारा पत्रांक 3322 दिनांक 09.11.2022, 3483 दिनांक 01.12.2022 द्वारा एवं दूरभाष के माध्यम से भी बार–बार संविदा कर्मियों के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0, जी0एस0टी0 समय से जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया है। लेकिन आपके द्वारा इस सम्बन्ध में सकारात्मक कार्यवाही नही की गयी।

आपके द्वारा की जा रही कृत के कारण कारपोरेशन की छवि धूमिल हो रही है एवं औद्योगिक अशांति उत्पन्न होने का संकट निरन्तर बना रहता है। तत्क्रम में अनुबन्ध की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत प्राविधान उल्लेखनीय है :–

धारा 2 : **Mandatory Obligation on the Contractor :-**

उप धारा 2.1:- The Contractor shall be in obligation to pay the wages before 7th of every month to its deployed personnel equal to the minimum wages to the skilled/unskilled personnel as applicable (as per the classification equivalent to the monthly/daily wages determined by the applicable (as per the classification equivalent to the monthly/daily wages determined by the Labour Commissioner, Govt. of Uttar Pradesh under Minimum Wages Act. 1948 or latest amendment thereof) through bank transfer only in the account of deployed personnel. In this connection, the order issued by Government of Uttar Pradesh revising the wages from time to time shall be binding on the contractor from the effective date mentioned in such notification.

उप धारा 2.2:- The Contractor shall discharge its liability for the deployed labour in respect of Employees Provident Fund under The Employee" Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952

उप धारा 2.3:- The Contractor shall discharge/bear its liability for the deployed labour in respect of Employees State Insurance corporation (ESIC) under the Employee's State insurance Act, 1948, and in case where ESIC is not applicable in a particular area then the contractor will get insured the deployed labour under Workmen compensation Insurance Policy from any of the PSU"s.

उप धारा 2.4:- The contractor shall also have to bear all other liabilities as per existing "Contact labour (Regulation and Abolition) Act 1970" and other applicable Labour Act as amendable from time to time.

उप धारा 2.4:- The contractor shall also have to bear all other liabilities as per existing "Contact labour (Regulation and Abolition) Act 1970" and other applicable Labour Act as amendable from time to time.

क्रमशः....3 पर

<u>धारा 3.:</u> **<u>Submission of Bills & Payment :</u>**

<u>उप धारा 3.3:</u>- All above payment excluding wages (wages to be paid on 7th day) must be made in respective department by 15th of succeeding month else penalty of Rs.100/- per day per employee for which the payment including the salary disbursement has been delayed or not been done (along with all the penalties imposed by ESIC or EPFO) may be imposed and be recovered from its bill/contract performance guarantee. Any non-compliance regarding timely payment of salaries, PF. ESIC or any other payments due by Contractor to the deployed manpower may attract Stringent Actions including Legal proceedings and repetition of such offences might result into blacklisting of the Contractor for any further contracts.

<u>धारा 17:</u> Blacklisting :

<u>उप धारा 17.1</u>:- In case(s) of severe default(s) by the Contractor (including but not limited to clause 20 of this Section), the process of blacklisting or debarring of Contractor and recoveries (if any) thereof may be undertaken by the Discom if deemed necessary.

<u>धारा 20:</u> Termination of Contract

<u>उप धारा 20.1</u> Event of default

i. Any of following events shall constitute an "Event of Default". The occurrence of any "event of Default" shall lead to consequences as brought out in Clause.
ii. if the Contractor fails to deliver services as per Scope of Work.
iii. if the Contractor unlawfully repudiates the Contract or has otherwise expressed an intention not to be bound by the contract.
iv. If the Contractor does not make timely payment of salaries to the deployed labour.
v. If the Contractor does not make the mandatory payments like EPF, ESIC and other liabilities if any.
vi. If it comes to the Discom'S notice that the Contractor is indulged in forging documents and submitting forged documents of EPF Challan sheet, ESIC receipt of Personnel deployed by it.

अतः अनुबन्ध के उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों का निष्ठापूर्वक पालन न करने के कारण आपको अनुबन्ध की उपधारा 20.2.1 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जाता है एव अपेक्षा की जाती है कि एक सप्ताह के अन्तर्गत उपरोक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष स्पष्ट करने का कष्ट करें अन्यथा कि स्थिति में बगैर अन्य अवसर दिये अनुबन्ध के प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु बाध्यता होगी जिसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। "

4— उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा संविदा कर्मियों का माह अक्टूबर 2022 तक कुल ई0पी0एफ0 अंशदान की धनराशि रू0 8,76,13,034.00 (रू0 आठ करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार चौतिस) का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग रू0 15.00 करोड़ की जी0एस0टी0 की देयता जी0एस0टी0 विभाग को जमा नही की गयी है।

5— कार्यदायी संस्था को उपरोक्त नोटिस के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीरकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया। अतः कार्यदायी संस्था को इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 02.01.2023 को डिस्कॉम मुख्यालय पर बुलाया गया। डिस्कॉम मुख्यालय पर दिनांक 02.01.2023 को कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में मे0 ओरियन सिक्यूरिटी साल्युशन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधियों से संविदा कर्मियों का माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2022 का भुगतान एवं संविदा कर्मियों के लम्बित ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 एवं जी0एस0टी0 भुगतान हेतु प्रश्न किया गया। कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्यूरिटी साल्युशन प्रा0 लि0 के सी0एम0डी0 द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुए बार–बार डिस्कॉम द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को स्पष्ट किया गया कि फर्म के विरूद्ध उपरोक्तानुसार देयता लम्बित होने की दशा में कार्यदायी संस्था को अग्रेतर धनराशि अवमुक्त किया जाना संभव नही है। अन्ततः मे0 ओरियन सिक्यूरिटी साल्युशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली के दिनांक 02.01.2023 की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा संविदा कर्मियों के माह नवम्बर, दिसम्बर 2022 का भुगतान किये जाने एवं लम्बित ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 व जी0एस0टी0 भुगतान हेतु संतोषजनक आश्वासन नही दिया गया। अतः कार्यदायी संस्था के विरूद्ध भविष्य में अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कठोर कार्यवाही के साथ–साथ विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। इसके उपरान्त भी दिनांक 03.01.2023 तक कारण बताओ नोटिस का लिखित स्पष्टीकरण प्रेषित न करने पर पुनः पत्रांक 27 दिनांक 04.01.2023 द्वारा अविलम्ब स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया। यह भी सूचित किया गया कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अनुबन्ध की शर्तो के अधीन कार्यवाही हेतु बाध्यता होगी जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

क्रमशः....4 पर

6— कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा इसके उपरान्त भी दिनांक 06.01.2023 तक कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रेषित नही किया गया। पुनः उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा संविदा कर्मियों का माह अक्टूबर 2022 तक कुल ई0पी0एफ0 अंशदान की धनराशि रू0 8,76,13,034.00 (रु0 आठ करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार चौतिस) का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग रू0 15.00 करोड़ की जी0एस0टी0 की देयता जी0एस0टी0 विभाग को जमा नही की गयी है। इस कारणवश विषयगत कार्यानुबन्ध के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डलों के क्षेत्राधीन जनमानस को सुचारू विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के आवश्यक सेवा कार्य की संवेदनशीलता के दृष्टिगत 33/11 केवी उपकेन्द्रों, एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु तैनात किये गये कुशल व अकुशल संविदा कर्मियों के माह नवम्बर, दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की परिस्थितियों वश कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली के विरूद्ध अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं 17, 20 के अन्तर्गत कार्यवाही की परिस्थिति बनी।

7— **अनुबन्ध की धारा 17: Blacklisting :**

उप धारा 17.1:- In case(s) of severe default(s) by the Contractor (including but not limited to clause 20 of this Section), the process of blacklisting or debarring of Contractor and recoveries (if any) thereof may be undertaken by the Discom if deemed necessary.

8— **धारा 20: Termination of Contract**

उप धारा 20.1 Event of default

i. Any of following events shall constitute an "Event of Default". The occurrence of any "event of Default" shall lead to consequences as brought out in Clause.
ii. if the Contractor fails to deliver services as per Scope of Work.
iii. if the Contractor unlawfully repudiates the Contract or has otherwise expressed an intention not to be bound by the contract.
iv. If the Contractor does not make timely payment of salaries to the deployed labour.
v. If the Contractor does not make the mandatory payments like EPF, ESIC and other liabilities if any.
vi. If it comes to the Discom'S notice that the Contractor is indulged in forging documents and submitting forged documents of EPF Challan sheet, ESIC receipt of Personnel deployed by it.

9— अतः, अनुबन्ध के प्राविधानों का निष्ठापूर्वक पालन न करने यथा संविदा कर्मियों के मासिक देयों का समय से भुगतान न करने, नियमानुसार ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 अंशदान जमा न कराये जाने एवं नियमानुसार जीएसटी जमा न करने के कारण विषयगत कार्यानुबन्ध के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डलों के क्षेत्राधीन जनमानस को सुचारू विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के आवश्यक सेवा कार्य की संवेदनशीलता, औद्यौगिक शान्ति बनाये रखने एवं डिस्कॉम हित के दृष्टिगत एतत्द्वारा मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, 5—ई— प्रथम तल, लेन नं0—5, जंगी हाउस, स्ट्रीट नं0 5, शाहपुर जट, नई दिल्ली—110049 के साथ किये गये कार्यानुबन्ध संख्या 929/एमडी/पीयूवीवीएनएल(वी)/ईएवी—68/2018—19 दिनांक 22.04.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ट्रेड फाइनेन्स, एस0एम0ई0 नरैना ब्रान्च, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कान्ट्रेक्ट सिक्योरिटी बैंक गारण्टी नं0 4074719बीजी0000360/न्यू बैंक गारण्टी नं0 0505119बीजी1000360 धनराशि रू0 5,85,09,500.00 जब्त की जाती है एवं कार्यदायी संस्था मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, 5—ई— प्रथम तल, लेन नं0—5, जंगी हाउस, स्ट्रीट नं0 5, शाहपुर जट, नई दिल्ली—110049 को इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से आगामी 02(दो) वर्षो की अवधि के लिए पूविविनिलि—वाराणसी की समस्त निविदओं/कार्यो में प्रतिभाग हेतु व्यापार निषिद्ध किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रबन्ध निदेशक
पू0वि0वि0नि0लि0,
वाराणसी

क्रमशः....5 पर

पत्रांकः 59 /पू0वि0वि0नि0लि0(वा)/सा0प्र0–1/तद्दिनांक : 06/01/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टॉफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0पा0का0लि0, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ को संज्ञानित कराने हेतु प्रेषित।
2. स्टॉफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष महोदय, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ को संज्ञानित कराने हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
4. निदेशक(तकनीकी), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
5. निदेशक(वित्त)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी को मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली के देयों से नियमानुसार वसूली/रिकवरी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
6. प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता(वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/गोरखपुर/आजमगढ़/प्रयागराज/मिर्जापुर/बस्ती क्षेत्र।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल(सी0ई0ओ0) देवरिया/कुशीनगर/मऊ/आजमगढ़–प्रथम एवं द्वितीय/बलिया/फतेहपुर को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्ध के प्राविधानों का निष्ठापूर्वक पालन न करने यथा संविदा कर्मियों के मासिक देयों का समय से भुगतान न करने, नियमानुसार ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 अंशदान जमा न कराये जाने एवं नियमानुसार जीएसटी जमा न करने के कारण मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली के विरुद्ध प्राथमिकी/विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. अधीक्षण अभियन्ता(आई0टी0 सेल), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी को डिस्कॉम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. मे0 ओरियन सिक्योरिटी सल्यूशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली (E-mail: customercare@orionfacilities.com) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वि0वि0मं0– देवरिया/कुशीनगर/ मऊ/आजमगढ़–प्रथम एवं द्वितीय के अन्तर्गत तत्काल नव चयनित कार्यदायी संस्थाओं को अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित दायित्वों के अन्तर्गत जनमानस को सुचारू विद्युत व्यवस्था के बनाये रखने के आवश्यक सेवा कार्यो, डेटा, रिकार्ड इत्यादि का हस्तानान्तरण करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त वि0वि0मं0–बलिया व फतेहपुर के अन्तर्गत नई कार्यदायी संस्था के चयनित किये जाने/अग्रेतर सूचना तक आवश्यक सेवा कार्यो का सुचारू रूप से निष्पादन करने का भी कष्ट करें।

(राजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0–I)